संख्या-200/2026/813 के-2/22-2-2025-17(1080)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुत्तुन पुत्र श्री निजामुद्दीन, निवासी जनपद-सुलतानपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0/बैठक दिनांक-01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मुत्तुन पुत्र श्री निजामुद्दीन, निवासी-ग्राम असरफपुर, थाना-पीपरपुर, जनपद-सुलतानपुर का निवासी है। बन्दी के पिता की पूर्व में हुई हत्या की रंजिश को लेकर दिनांक 22.02.1981 को 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा व बल्लम मारकर **01** व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-219/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, सुलतानपुर के दण्डादेश दिनांक 20.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.04.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 24.07.2025 तक बन्दी की उम्र 58 वर्ष, 11 माह, 13 दिन होने एवं 07 वर्ष, 05 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 01 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किये जाने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं के सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुत्तुन (बन्दी संख्या-287/2019) पुत्र श्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

निजामुद्दीन, निवासी जनपद-सुलतानपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।